न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील प्रकरण सं0 52/2013

1. करतार सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 37 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. अवतार सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 37 आर.बी. तहसील पदमपुर
2. सुखविन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 37 आर.बी. तहसील पदमपुर
3. स्टेट आफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार, पदमपुर जिसकी रूह से अपीलार्थी की खातेदारी आराजी का इन्तकाल सख्या 323 दिनांक 20.11.2012 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1-2 के नाम किया गया

उपस्थित :
1. श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट

दिनांक :-23.10.2017

आदेश

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी के नाम से चक 37 आर.बी. में मु.न. 15 की 25.00 बीघा व मु.न. 20 की 25.00 बीघा कुल 50 बीघा मय खाला 0.05 रकबा में बहिस्सा बराबर-बराबर अवतार सिंह व बलकरण सिंह पिता गोपाल सिंह के साथ खातेदारी करता था। अवतार सिंह व बलकार सिह ने अपने-अपने हिस्सा 16.10-16.10 बीघा में से दिनांक 11.06.68 प्रत्येक ने 12.10-12.10 कुल 25 बीघा को जरिये पंजीबद्व बैयनामा से हरभजन कौर पत्नि बलवन्त सिहं जाति जटसिख को बेचान कर दी। बेचान का इन्तकाल सख्या 36 दिनांक 02.04.1977 को किया जा चुका है। शेष आराजी प्रत्येक की 4.00-4.00 बीघा रही है। यह इन्द्राज सम्वत् 2025-2069 तक जमाबन्दियों बदस्तूर चला आ रहा था। तथाकथित बैयनामा क्रमांक 1226 की रूह से इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया। बैयनामा क्रमांक 1226 दिनांक 03.12.1968 (जबकि दिनांक 11.10.1968 है) 45 वर्ष पूर्व निष्पादित किया गया था। जिसका इन्द्राज अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.2012 को जरिये बिना किसी मौके की जांच किये किया गया है। अपीलाधीन आदेश से स्पष्ट है कि विकय के 45 वर्ष पश्चात खोले नामान्तरण में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया । इस प्रकार अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। बैयनामा क्रमांक 1226 दिनांक 03.12.1968 की पालना 45 वर्ष पश्चात करने से पूर्व मौके के कब्जा की जांच नही की। बैयनामा में

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

बेचानकर्ता अवतार सिंह के नाम से शेष केवल 4.00 बीघा की आराजी थी तो 12.10 बीघा का बेचान कैसे हो सकता था। फिर बेचान अवतार सिंह द्वारा किया गया था तो अपीलार्थी के 4.175 है0 हिस्सा की आराजी खरीरदार रेस्पोडेन्ट के नाम क्यों किया गया। इस प्रकार इन्तकाल तस्दीक से पूर्व कोई जांच नहीं की। इस समस्त फर्जकारी कार्यवाही के विरूद्व अपीलार्थी ने एक फौजदारी कार्यवाही भी कर रखी है। अपीलार्थी द्वारा कोई भी बैयनामा ना तो निष्पादित किया ना ही बेचना किया। अपीलार्थी का कब्जा आज दिनांक तक लगतार चलता आ रहा है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी उस समय हुई जब अपीलार्थी ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु राजस्व रिकार्ड दिनांक 08.06.2013 को देखा तो मालूम हुआ कि रिकार्ड में अपीलार्थी का नाम ही नहीं है। इस पर दिनांक 10.06.2013 को पटवारी हल्का से सम्पर्क किया गया। हल्का पटवारी द्वारा विवादित इन्तकाल संख्या 323 की नकल उसी रोज दी। इस पर अपीलार्थी दिनांक 19.06.2013 को परिवाद प्रस्तुत किया तथा कानूनी राय से आज यह अपील बिना किसी देरी के दफा 5 कानून मियाद के प्रस्तुत की। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 323 दिनांक 20.11.2012 को निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के पश्चात भी उभयपक्ष द्वारा कुछ और सारभूत अभिलेख पेश करने की गुहार की गई। न्यायहित में उभयपक्ष को यदि कोई हो तो रिकॉर्ड प्राप्त कर पेश करने का चाहे अनुसार मौका दिया गया।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अवतार सिंह व बलकार सिह ने अपने–अपने हिस्सा 16.10–16.10 बीघा में से दिनांक 11.06.68 प्रत्येक ने 12.10– 12.10 कुल 25 बीघा को जरिये पंजीबद्व बैयनामा से हरभजन कौर पत्नि बलवन्त सिहं जाति जटसिख को बेचान कर दी। बेचान का इन्तकाल सख्या 36 दिनांक 02.04.1977 को किया जा चुका है। शेष आराजी प्रत्येक की 4.00–4.00 बीघा रही है। यह इन्द्राज सम्वत् 2025–2069 तक जमाबन्दियों में बदस्तूर चला आ रहा था। तथाकथित बैयनामा क्रमांक 1226 की रूह से इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया। बैयनामा क्रमांक 1226 दिनांक 03.12.1968 (जबकि दिनांक 11.10.1968 है) 45 वर्ष पूर्व निष्पादित किया गया था। जिसका इन्द्राज अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.2012 को जरिये बिना किसी मौके की जांच किये किया गया है। अपीलाधीन आदेश से स्पष्ट है कि विक्रय के 45 वर्ष पश्चात खोले नामान्तरण में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया । इस प्रकार अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। बैयनामा क्रमांक 1226 दिनांक 03.12.1968 की पालना 45 वर्ष पश्चात करने से पूर्व मौके के कब्जा की जांच नही की। बैयनामा में बेचानकर्ता अवतार सिंह के नाम से शेष केवल 4.00 बीघा की आराजी थी तो 12.10 बीघा का बेचान कैसे हो सकता था। फिर बेचान अवतार सिंह द्वारा किया गया था तो अपीलार्थी के 4.175 है0 हिस्सा की आराजी खरीरदार रेस्पोडेन्ट के नाम क्यों किया गया। इस प्रकार इन्तकाल तस्दीक से पूर्व कोई जांच नहीं की। इस समस्त फर्जकारी कार्यवाही के विरूद्व अपीलार्थी ने एक फौजदारी कार्यवाही भी कर रखी है। अपीलार्थी द्वारा कोई भी बैयनामा ना तो निष्पादित किया ना ही बेचान किया। अपीलार्थी का कब्जा आज दिनांक तक लगतार चलता आ रहा है। इसके अलावा अपीलार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस इन्तकाल नम्बर 11 दिनांक 26.1.53, इन्तकाल नम्बर 06 / 21.03.1977, इन्तकाल नम्बर 07 / 08.05.1951 की फोटो प्रतियां, एवं, जमाबन्दी सम्वत् 2012–2016, जमाबन्दी सम्वत् 2032,

जमाबन्दी सम्वत् 2036, 2041,2045,2049,2053,2061–64, 2065–68 की फोटो प्रतियां पेश की जिसके अनुसार करतार सिंह का नाम बदस्तूर चला आ रहा है एवं उक्त जमाबन्दीयों अनुसार अवतार सिंह–बलकरण सिंह पि0 गोपाल सिंह के नाम 4.00–4.00 बीघा भूमि रही है एवं करतार सिंह पि0 गोपाल सिंह के हिस्सा में 4.175 हैक्टर भूमि रही है। बैयनामा में बेचानकर्ता अवतार सिंह के नाम से शेष केवल 4.00 बीघा की आराजी थी तो 12.10 बीघा का बेचान कैसे हो सकता था। फिर बेचान अवतार सिंह द्वारा किया गया था तो अपीलार्थी के 4.175 है0 हिस्सा की आराजी खरीरदार रेस्पोडेन्ट के नाम क्यों किया गया। इस प्रकार इन्तकाल तस्दीक से पूर्व कोई जांच नहीं की। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 323 दिनांक 20.11.2012 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि औतार सिंह, बलकार सिंह पिसरान गोपाल सिंह के नाम चक 37 आर.बी. तहसील पदमपुर के मु.न. 28 व 23 की 49.10 बीघा सम्वत् 2021 ता 2024 की जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज थी। औतार सिंह–बलकार सिंह ने अपना मुखत्यारआम दरबारा सिंह पुत्र वीरा सिंह को बनाया हुआ था तथा मुखत्यारआम के माध्यम से उपरोक्त रकबा मु.न. 28 के 25 बीघा का बैयनामा दिनांक 11.10.1968 को रेस्पोडेन्टान के हक में करके भूमि का कब्जा सौंप दिया गया, तब से कब्जा रेस्पोडेन्ट का चला आ रहा है, अब भी मौका पर कब्जा रेस्पोडेन्ट का ही है, रेस्पोडेंट ने उपरोक्त रकबा का इन्तकाल करवाने की कार्यवाही की तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत 39 आर.बी. को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 25.05.1969 को इन्तकाल तस्दीक किया गया। जिसके खिलाफ अपील की गई। वर्तमान में ग्राम पंचायत 3 आरबी ए बन गई। जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा उपरोक्त इन्तकाल निरस्त करके सक्षम ग्राम पंचायत को तस्दीक करने का आदेश दिया जिस पर अब रेस्पोडेन्ट द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर इन्तकाल तस्दीक किया गया, जिसके खिलाफ मौजूदा अपील पेश की गई। इन्तकाल सही तौर पर तस्दीक किया गया है, अतः अपील कानूनन चलने योग्य नही है, इसके अलावा यह भी निवेदन है कि इन्तकाल विवादित था जिसके खिलाफ संभागीय आयुक्त , बीकानेर के समक्ष ही अपील पेश की जा सकती थी इसलिए श्रीमान न्यायालय के अधिकार क्षैत्र की ना होने से खारिज करने योग्य है। रेस्पोडेन्ट के नाम इंतकाल बैयनामाजात के आधार पर किया गया है तथा बैयनामाजात को आज तक किसी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ना तो मनसूख किया गया ना बैयनामा को अवैध करार दिया गया, किसी राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड बैयनामा को अवैध घोषित करने का अधिकार नही है। रजिस्ट्री बैयनामा सक्षम अधिकारी द्वारा तस्दीक किया गया तथा बैयनामा को मनसूख करवाने की मियाद भी समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार से इतंकाल सही तौर से तस्दीक किया गया है। अपीलांट द्वारा गलत दस्तावेज के आधार पर भूमि का आगे इकरारनामा बनवाया गया जिसके खिलाफ धारा 420–467–468–120(बी) आईपीसी का मुकदमा दर्ज होकर वारंट गिरफतारी जारी हो चुका है जिसकी नकल शामिल है। माननीय न्यायालय को केवल इंतकाल की वैद्यता को ही देखना है तथा इन्तकाल बैयनामाजात के आधार पर किया गया है। अतः इन्तकाल किसी प्रकार से निरस्त नही किया जा सकता क्योंकि जब तक बैयनामाजाता प्रभावी है तब तक कानूनन इन्तकाल को निरस्त नहीं किया जा सकता। अपील में ऐसा कोई कथन नही किया गया कि अपीलांट ने बैयनामाजात को निरस्त करवाया हो तथा सक्षम न्यायालय से अपने आपको खातेदार धोषित करवाया हो। अतः अपील अपीलान्ट मय खर्चा खारिज फरमायी जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गए अभिलेखीय साक्ष्यों का संदर्भ लिया गया।

1. जमाबन्दी चक 37 आर.बी. सम्वत् 2002 में उक्त अपीलाधीन भूमि गोपालसिंह वगैरा के नाम दर्ज रिकार्ड थी। उनकी मृत्योपरांत उनके तीन पुत्रों के नाम जरिये विरासत इंतकाल यह भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई जो जमाबन्दी चक 37 आर.बी. सम्वत् 2012–2016 में विवादित भूमि मु.न. 56/14 की 1.00 गै.मु.,मु.न. 23 की 25.00 बीघा , मु.न. 28 की 23.10 कुल 49.10 बीघा औतार सिंह–बलकार सिंह–करतार सिंह पि0 गोपाल सिंह वगैरा के नाम दर्ज रिकार्ड से प्रमाणित है। साथ ही जमाबन्दी चक 37 आर.बी. सम्वत् 2013–2016 में विवादित भूमि मु.न. 56/14 की 1.00 गै.मु.,मु.न. 23 की 25.00 बीघा , मु.न. 28 की 23.10 कुल 49.10 बीघा औतार सिंह–बलकार सिंह पि0 गोपाल सिंह वगैरा के नाम दर्ज रिकार्ड थी। तत्पश्चात की जमाबन्दी सम्वत् 2021 से 2024 तक उक्त भूमि में से अपीलार्थी करतार सिंह का नाम विलोपित हुआ जिसके सम्बन्ध में कोई विधिक अभिलेखीय आदेश का आधार नहीं है। तत्पश्चात पुनः जमाबन्दी सम्वत् 2032 में भी उक्त भूमि अवतारसिंह–बलकारसिंह– करतार सिंह पि0 करतार सिंह के नाम अभिलेख से प्रमाणित है।
2. भू–प्रबन्धक विभाग राजस्थान सरकार की खतौनी जमाबन्दी 2026–2035 में उक्त भूमि के मु.न. 23 पुराना नया 15 एवं 28 पुराना नया 20 होना पाया गया एवं उक्त खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2026–2035 चक 37 आर.बी. के मु.न. 15 की 25.00 बीघा, मु.न. 28 की 23.10 बीघा एवं नहरी खाला 1.00 बीघा कुल 49.10 बीघा भूमि अवतार सिंह–बलकार सिंह–करतारसिंह पि. गोपालसिंह कौम जटसिख सा. देहखातेदार दर्ज रिकार्ड थी।
3. जमाबन्दी सम्वत् 2032 में भी उक्त भूमि अवतारसिंह–बलकारसिंह– करतार सिंह पि0 गोपालसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जमाबन्दी सम्वत् 2033 में उक्त भूमि अवतार सिंह 4.00 बीघा , बलकार सिंह 4.00 बीघा एवं करतार सिंह 16.10 बीघा पि0 गोपाल सिंह, मु. हरभजनकौर पत्नि बलवन्त सिंह सा. देहखातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड आई जो दो पृथक–पृथक बैयनामा दिनांक 11.10.1968 के कारण नामांतरण से आई। उक्त भूमि दस्तावेज बैयनामा **1223/11.10.1968** दरबारासिंह पुत्र वीरसिंह मुखत्यार आम बलकार सिंह पुत्र गोपाल सिंह के द्वारा चक 37 आर.बी. के मु.न. 23 की 25 बीघा में से 12.10 बीघा मु. हरभजन कौर पत्नि कुलवन्त सिंह एवं दस्तावेज बैयनामा **1225/11.10.1968** दरबारासिंह पुत्र वीरसिंह मुखत्यार आम औतार सिंह पुत्र गोपाल सिंह के द्वारा चक 37 आर.बी. के मु.न. 23 की 25 बीघा में से 12.10 बीघा मु. हरभजन कौर पत्नि कुलवन्त सिंह को बैय की गई जिसका इन्तकाल संख्या 6 दिनांक 01.04.1977 द्वारा मु. हरभजन कौर पत्नि कुलवन्त सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड हुई। उसके बाद की जमाबन्दीयों में लगातार करतार सिंह का नाम दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है जो जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 तक यथावत अवतार सिंह 1.012, बलकार सिंह–1.012, करतार सिंह 4.175 हैक्टर पि. गोपालसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड रही है।
4. वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थी करतारसिंह का नाम यकायक विलोपित होना, तत्पश्चात पुनः प्रविष्ट होना और तत्पश्चात् बिना किसी फेरफार के लगभग 45 वर्ष तक खातेदार रूप में सत्त दर्ज रहना यही साबित करता है कि उसने अपनी भूमि का कभी भी हस्तांतरण नहीं किया। अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 323 में भी जिन दो बैयनामों का हवाला दिया जाकर उनके आधार पर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नामांतरकरण स्वीकृत किया गया है उनमें भी अपीलार्थी करतार सिंह के द्वारा अपनी भूमि का बेचान करना उल्लिखित नहीं है। इस इंतकाल से पूर्व बेचानकर्ता का इस विवादित भूमि में मात्र 4.00 बीधा, 4.00 बीघा की ही खातेदारी अभिधृति शेष थी जिसका इंतकाल खोला जाकर स्वीकृत होना था। लेकिन इसमें उनके हिस्से से अधिक भूमि का हस्तांतरण दर्शाया गया और वह अधिक भूमि अपीलार्थी करतार सिंह की ही थी जिसका हस्तांतरण कभी हुआ ही नहीं। लिहाजा यह नामातरकरण विधि के सुस्थापित सिद्वांतो के विपरीत पारित किया गया है।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि माननीय न्यायालय को केवल इंतकाल की वैद्यता को ही देखना है तथा इन्तकाल बैयनामाजात के आधार पर किया गया है। अतः इन्तकाल किसी प्रकार से निरस्त नही किया जा सकता क्योंकि जब तक बैयनामाजाता प्रभावी है तब तक कानूनन इन्तकाल को निरस्त नहीं किया जा सकता।

अधिवक्ता अपीलान्ट का मुख्य तर्क है कि अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय रूप से बिना अपीलार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा कोई भी बैयनामा न तो रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे निष्पादित किया है और न ही किसी को आराजी जरिए मुखत्यारेआम बेचान की है। बैयनामा दिनांक 03.12.1968 एक फर्जकारी दस्तावेज है जिससे अपीलार्थी का कोई सरोकार नही है। तथाकथित बैयनामा के आधार जो इन्तकाल अपीलाधीन आदेश के तहत पारित किया गया है वह प्रारम्भिक रूप से शून्य आदेश है। इस सम्बन्ध में दर्ज अपराधिक मुकदमें में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा दिये गए निर्णय दिनांक 06.06.2014 रिकार्ड पर है, अनुसार बैयनामा दिनांक 3.12.1968 में काटं छाट कर उसके आधार पर परिवादी की 4.175 हैक्टर भूमि का इन्तकाल अपने नाम करवाने के कारण **मुलजिम सुखविन्द्र सिंह व अवतार सिंह के विरूद्व धारा 420–467–468–120 (बी) आईपीसी का अपराध बनना पाया है।** मुलजिमान को जरिये गिरफतारी वारण्ट तलब किया जाने का आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 323 दिनांक 20.11.2012 को निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। चक 37 आर.बी. तहसील पदमपुर के मुर्शतका खाता में मु.न. 15 की 25.00 बीघा व मु.न. 20 की 25 बीघा कुल 50.00 बीघा मय खाला 0.05 रकबा में बहिस्सा बराबर–बराबर अवतार सिंह व बलकरण सिंह पि0 गोपाल सिंह ने अपने–अपने हिस्सा 16.10–16.10 बीघा में से दिनांक 11.06.1968 को प्रत्येक ने 12.10–12.10 कुल 25 बीघा को जरिये बैयनामा से हरभजन कौर पत्नि बलवन्त सिंह जटसिख को बेचान कर दी। बेचान का इन्तकाल सख्या 6 दिनांक 02.04.1977 को किया जा चुका है। इन्तकाल नम्बर 11 दिनांक 26.1.53, इन्तकाल नम्बर 06/02.04.1977, इन्तकाल नम्बर 07/08.05.1951, जमाबन्दी सम्बत् 2012–2016, जमाबन्दी सम्वत् 2032, जमाबन्दी सम्वत् 2036, 2041, 2045, 2049,2053,2061–64, 2065–68 के अनुसार करतार पि. गोपाल सिंह के नाम 4.175 हैक्टर भूमि चली आ रही थी जो जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 में उसके हिस्सा की भूमि में इन्तकाल नम्बर 323 दिनांक 20.11.2012 के आधार पर नाम विलोपित करना विधिसम्मत नहीं है क्योंकि करतार सिंह पि0 गोपालसिंह द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में कोई बैंयनामा ही नहीं किया। पत्रावली में ऐसा कोई बैयनामा रिकार्ड में नहीं है कि करतार सिंह पि0 गोपाल सिंह द्वारा अपनी भूमि का बेचान दर्शाता हो। इससे

प्रति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

इन्तकाल संख्या 323 दिनांक 20.11.2012 विधि विरूद्व एवं बिना सुनवाई के अवसर प्रदान का प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत है। इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, पदमपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2012 भी, जिसकी पालना में इन्तकाल सख्या 323 दिनांक 20.11.2012 पारित किया,विधिसम्मत नहीं है। इसलिए तहसीलदार, पदमपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2012 जिसकी पालना में इन्तकाल सख्या 323 दिनांक 20.11.2012 को निरस्त किया जाता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार पदमपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन विवादित भूमि की वर्तमान राजस्व अभिलेखीय प्रविष्टि के स्थान पर "अवतार सिंह, सुखविन्द्र सिंह पि0 बलवन्त सिंह 2.024 हैक्टर बहिस्सा बराबर जाति जटसिख सा. दे. खातेदार , करतार सिंह वल्द गोपाल सिंह 4.175 है0 ,जाति जटसिख सा.दे.खातेदार मु0 हरभजन कौर जोजा बलवंत सिंह जाति जटसिख सा. दे.खातेदार रहन बदस्तूर 6. 325 है0 " प्रविष्टि अंकित करते हुए " नामान्तरण खोला जावें तथा बाद कार्यवाही तस्दीक राजस्व रिकॉर्ड में तदनुसार अमलदारामद कर पालना पठावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को भेजी जावें एव रिकार्ड लौटाया जावें पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 23.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/10/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।